



प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह

संयुक्त सचिव,

उOप्रO शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1**लखनऊ :दिनांक 15 सितम्बर, 2026**

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संO-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से जनपद बहराइच के कांथाभारी पंडित पुरवा प्रधानमंत्री सड़क से जोगनी कान्हूपुरवा, देवानपुरवा, मल्लौह होते हुए गोसाईपुरवा से मंझरिया राजा ज्योत तक संपर्क मार्ग की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मुO-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित सूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संO-58 के लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत जनपद बहराइच के कांथाभारी पंडित पुरवा प्रधानमंत्री सड़क से जोगनी कान्हूपुरवा, देवानपुरवा, मल्लौह होते हुए गोसाईपुरवा से मंझरिया राजा ज्योत तक संपर्क मार्ग के स्वीकृत कार्य हेतु कुल स्वीकृत लागत रूO 3,08,17,000/- (रूपये तीन करोड़ आठ लाख सत्रह हजार मात्र) में जीOएसOटीO की अतिरिक्त धनराशि कुल रूO 13,84,000/- (रूपये तेरह लाख चौरासी हजार मात्र) को जोड़ते हुए कुल लागत रूO 3,22,01,000/- (रूपये तीन करोड़ बाईस लाख एक हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूO लाख में)

क्रम संO	मुख्य अभियन्ता (मुO-1), लोOनिOविO का पत्र संख्या व दिनांक	जनपद/ खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मूल स्वीकृति का शासनादेश	स्वीकृत लागत	अतिरिक्त जीएसटी की धनराशि	पुनरीक्षित कुल लागत (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	531सी/02सी/ 5054/जी.एस.टी. /बहराइच/ 26- 27, दिनांक 25.08.2026	निOखंO-1 बहराइच	जनपद बहराइच के कांथाभारी पंडित पुरवा प्रधानमंत्री सड़क से जोगनी कान्हूपुरवा, देवानपुरवा, मल्लौह होते हुए गोसाईपुरवा से मंझरिया राजा ज्योत तक संपर्क मार्ग।	40/2021/1937 रासनि/23-1-21- 68रासनि/20, दिनांक 07.01.2022	308.17	13.84	322.01

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (1) प्रश्नगत कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।
- (2) प्रश्नगत कार्यों को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशाली अभियंता का होगा।
- (3) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस- 2014-74(4)/75, दिनांक 11.11.14 द्वारा जारी संशोधित/परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट(सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपार्टमेंट क्रेडिट लिमिट(डी0सी0एल0) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर दिनांक 01.04.2014 से सेन्टेज कार्याश(लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश विभाग सं0-बी-1-901/दस- 2011-231/2011, दिनांक 21.03.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित प्राप्ति लेखाशीर्षक- "1054-00- 800-05-00-00" में ट्रांसफर इंटी डाटा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।
- (4) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (5) मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/ आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि शासनादेश सं0-3280 (1)23-9-05-25- 20एसी/05, दिनांक 21.09.2005 एवं शासनादेश सं0-313/23-9-2013- 20एसी/04टीसी, दिनांक 14.03.13 में की गई व्यवस्था के अनुसार लेखाशीर्षक" 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्ति- 04-टूल्स एवं प्लाण्ट की प्राप्ति" में जमा करायी जायेगी।
- (6) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।
- (7) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2027 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
- (8) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।
- (9) राज्य सड़क निधि हेतु गठित 50प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

- (10) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।
- (11) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- (13) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित बचत (यदि हो तो) व कार्य पूर्णता इत्यादि की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (14) सेन्टेज चार्ज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (15) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (16) उक्त परियोजना हेतु मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक जारी उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण/चौड़ीकरण-00-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- निजी सचिव, मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- 5- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
- 6- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
- 7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- 10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 11- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0शासन।
- 12- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।